



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट,
वाराणसी।
प्रेस नोट

दिनांक-02-09-2022

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-267/2019 धारा-376/328/323/504/506/384 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मो. हनीफ पुत्र मोइनुद्दीन निवासी जे -23/166 कमालपुरा थाना जैतपुरा वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-02.09.2022 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-2 वाराणसी द्वारा धारा-376/328/323/504/506/384 भा0द0वि0 के अधीन दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल रु0-15000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी